

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्य प्रमंडल, अरेराज के अधीन योजनाशीर्ष MMGSY(NDB BRICS) अन्तर्गत (1) पी0डब्लू0डी0 एस0एच0 मनकोडवा से हरिजन टोली, (2) उतरी नुनीया टोला से तिवारी टोला एवं (3) अकोना से सोहरिया तकपथसे संबंधित पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किये जाने के कारण संवेदक मे0 परमार इन्टरप्राईजेज (निबंधन सं0-1150197), Vill+Po- Balua, Ps-Paharpur, Dist- East Champaran, Bihar को विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)डिबार-33-59/2021-1966 अनु0/पटना, दिनांक-07.07.2021 के द्वारा निर्गत डिफॉल्टर सूची के क्रमांक-63, 64 एवं 65 पर उक्त संवेदक का नाम सम्मिलित करते हुए उन्हें आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था।

उक्त विभागीय आदेश के आलोक में संवेदक द्वारा दायर रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-3280/2023, मे0 परमार इन्टरप्राईजेज बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.03.2023 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका Operative Part निम्नवत् है :-

5. Accordingly, writ petition stands allowed with a Cost of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand). Cost shall be remitted in the Patna High Court Legal Services Committee within a period of four weeks from today.

6. Reserving liberty to the concerned authority to pass afresh order after due consideration of each of the contention stated by the petitioner in his reply at Annexure-2 in particularly chart of maintenance work and its payment so as to analyze whether is there any deficiency in maintenance of work on behalf of petitioner or not? To that extent, speaking order shall be passed and communicated to the petitioner within a period of three months from today.

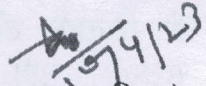
7. At this juncture, learned counsel for the petitioner submitted that the detailed show cause notice has not been made available. In such an event, concerned authority is hereby directed to prepare a detailed show cause notice with material information within a period of one month from the date of receipt of this order. Thereafter, petitioner is permitted to file his say on the detailed show cause notice along with material produced to him within a period of one month from the date of receipt of such show cause notice and conclude the proceedings within three months.

विभागीय समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि विषयगत तीनों पथ आज की तिथि में पंचवर्षीय अनुरक्षण के अधीन चौथें वर्ष में तथा संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-3280/2023 में दिनांक-21.03.2023 को पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)डिबार-33-59/2021-1966 अनु0/पटना, दिनांक-07.07.2021 के द्वारा याचिकाकर्ता संवेदक मे0 परमार इन्टरप्राईजेज (निबंधन सं0-1150197), Vill+Po- Balua, Ps-Paharpur, Dist- East Champaran, Bihar को विभागीय डिफॉल्टर सूची के क्रमांक-63, 64 एवं 65 पर सम्मिलित करते हुए अग्रिम निविदा में भाग लेने से वंचित किए जाने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

4/2

शेष दो पथ में यथा (1) एस0 एच0 मगुराहा से बरकुरवॉ नहर पथ एवं (2) रामनगर से गोसाईं टोला पथ से संबंधित सकारण आदेश संख्या-1329 दिनांक-01.09.2022 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन संख्या-1200072 (Class-1) को विभागीय पत्रांक-1966 अनु0 दिनांक-07.07.2021 द्वारा निर्गत डिफॉल्टर सूची के क्रमांक-62 एवं 57 को पूर्व में ही विलोपित किया जा चुका है।

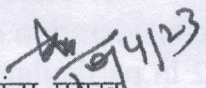

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-198/2022 - 2027

/पटना, दिनांक:-11/04/2023

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-71/2023 - 2027

/पटना, दिनांक:-11/04/2023

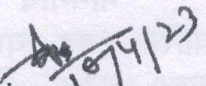
प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-71/2023 - 2027

/पटना, दिनांक:-11/04/2023

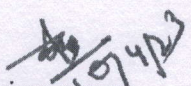
प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-71/2023 - 2027

/पटना, दिनांक:-11/04/2023

प्रतिलिपि:-संवेदक मे0 परमार इन्टरप्राइजेज (निबंधन सं0-1150197), Vill+Po-Balua, Ps-Paharpur, Dist- East Champaran, Bihar को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख